(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2420—तीन/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—11—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 226/अपील/2005—06

.....

देवप्रताप पिता पीताम्बर मिश्र
निवासी—ग्राम गड़वानी, तहसील देवसर
जिला—सीधी(म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

महेन्द्र प्रसाद पिता अम्बिका प्रसाद मिश्र
निवासी—ग्राम गड़वानी, तहसील देवसर
जिला—सीधी(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 05/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—11—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम गड़वानी तहसील देवसर की आराजी खसरा क्र0 130 रकबा 0.44 हैक्टेयर पर मौखिक दस्तावेज के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया । तहसीलदार देवसर ने आदेश दिनांक 20.09.2004 द्वारा आवेदक को संहिता की

धारा 185–190 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाकर नामांतरण का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभगीय अधिकारी, देवसर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 307 / अपील / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2005 के द्वारा स्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी देवसर के आदेश के विरूद्ध आवेदक देवप्रताप द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत जो प्रकरण क्रमांक 226 / अपील / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2006 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / आवेदक अभिभाषक ने मुख्य तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के मौरूषी कृषक के अधिकार प्राप्त हो गये थे । इसी आधार पर तहसीलदार ने आवेदक के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, एवं अपर आयुक्त ने निरस्त करने में त्रुटी की है। यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदक के पिता ने स्टाम्प पेपर पर सहमती दी, जिस पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई निर्णय न लिया जाकर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में त्रुटी की गई है। तर्क में यह भी कहा कि देवसर की अराजी परिवारिक हिस्साबांट में प्राप्त हुई है और इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन एवं जांच उपरांत आदेश पारित किया गया है, जिसे दोनों अपीलिय न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाये।

4 / अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5 / आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वशिष्ठ मुनि पिता जगन्नाथ राम के सहमति पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को मौरूषी कृषक माना है। आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर 12 वर्षों के ऊपर कब्जा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी देवसर एवं अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय

के आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक मानकर निरस्त की है। मौरूषी कृषक के अधिकार प्राप्त करने के लिये विधि में स्पष्ट प्रावधान दिये गये है कि जिनकी पूर्ति आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में नहीं की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही ही है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती एवं विधिसंगत है, जिसमें कोई अवैधानिक व अनियमितता प्रकट नहीं होती।

6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 24.11.2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर